**भारत सरकार**

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 713**

**सोमवार, दिनांक 27 जुलाई, 2015 को उत्‍त्‍ार देने हेतु**

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग**

713. **डा॰ सत्यनारायण जटियाः** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ाने तथा आम लोगों के लाभ हेतु तापीय विद्युत के सस्ते या राजसहायता प्राप्त विकल्प के तौर पर इसके उपयोग को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में अब तक प्राप्त वास्तविक उपलब्ध्यिों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्‍त्‍ार**

**विद्युत, कोयला तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

1. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) देश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अक्षय स्त्रोतों से उत्पादित विद्युत की खरीद पर पूंजीगत/ब्याज सब्सिडी, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, रियायती उत्पाद, सीमा शुल्क और अधिमान्य शुल्क दर जैसे राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है।
2. दिनांक 31.03.2015 तक देश में 35,776 मेगावाट से अधिक की ग्रिड-इन्टरएक्टिव अक्षय विद्युत संस्थापित की गई। राज्य-वार ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

**अनुलग्नक**

 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग' के संबंध में दिनांक 27.07.2015 के राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 713 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

 **देश में अक्षय ऊर्जा विद्युत उत्पादन में उपलब्धियों के राज्य-वार ब्यौरे**

 **(31.03.2015 तक की स्थिति के अनुसार)**

|  |
| --- |
| **(मेगावाट में)** |
| **क्रम संख्या** | **राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र** | **कुल क्षमता** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1946.00 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 104.63 |
| 3 | असम | 34.11 |
| 4 | बिहार | 114.12 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 324.50 |
| 6. | गोवा | 0.05 |
| 7 | गुजरात | 4717.55 |
| 8 | हरियाणा | 136.00 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 723.91 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 156.53 |
| 11 | झारखंड | 20.05 |
| 12 | कर्नाटक | 4510.23 |
| 13 | केरल | 203.95 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 1564.64 |
| 15 | महाराष्ट्र | 6188.30 |
| 16 | मणिपुर | 5.45 |
| 17 | मेघालय | 31.03 |
| 18 | मिजोरम | 36.47 |
| 19 | नागालैंड | 29.67 |
| 20 | ओडिशा | 116.39 |
| 21 | पंजाब | 493.42 |
| 22 | राजस्थान | 4386.25 |
| 23 | सिक्किम | 52.11 |
| 24 | तमिलनाडु | 8390.98 |
| 25 | तेलंगाना | 61.25 |
| 26 | त्रिपुरा | 21.01 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 989.86 |
| 28 | उत्तराखंड | 244.32 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 131.71 |
| 30 | अंडमान और निकोबार | 10.35 |
| 31 | चंडीगढ़ | 4.50 |
| 32 | दादर एवं नगर हवेली | 0.00 |
| 33 | दमन एवं दीव | 0.00 |
| 34 | दिल्ली | 21.47 |
| 35 | लक्षद्वीप | 0.75 |
| 36 | पुडुचेरी | 0.03 |
| 37 | अन्य | 4.79 |
|  | **कुल** | **35776.96** |